



राष्ट्रीय फैशन प्रद्योगिकी संस्थान

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

National Institute of Fashion Technology

(Ministry of Textiles, Govt. of India)

3050/Estt/Complaint Committee/2008/

दिनांक/Date: 26/05/2023

कार्यालय ज्ञापन

जबकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 14) की धारा 4 के प्रावधानों के तहत और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उससे संबंधित या आकस्मिक मामलों की रोकथाम और निवारण के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

जबकि उक्त अधिनियम के अध्याय II के अनुसार, कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता को लिखित रूप से एक आदेश द्वारा एक समिति का गठन करना होगा जिसे "आंतरिक शिकायत समिति" के रूप में जाना जाएगा।

और जबकि आंतरिक शिकायत समिति में अन्य बातों के साथ-साथ एक पीठासीन अधिकारी और कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य और गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य शामिल होगा, बशर्ते कि इस प्रकार नामित कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं होंगी।

अब, इसलिए, कार्यालय आदेश संख्या 3050/इ.एस.टी.टी./शिकायत समिति/2008 दिनांकित 15.03.2022 के अधिक्रमण में, मैं, राजेश कुमार झा, निदेशक, निफ्ट परिसर कोलकाता, उक्त अधिनियम की धारा-4 में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों वाली एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन का आदेश दे रहा हूँ :-

- डॉ. रीनित सिंह, प्राध्यापक, निफ्ट कोलकाता-पीठासीन अधिकारी* *
दूरभाष सं. : +91-9836116620
ईमेल आई.डी.: reenit.singh@nift.ac.in
- सुश्री पिउ सरकार, सहायक प्राध्यापक, निफ्ट कोलकाता -सदस्य
दूरभाष सं.: +91- 7506595996
ईमेल आई.डी.: piu.sarkar@nift.ac.in
- श्री यशवंत कुमार विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक, निफ्ट कोलकाता - सदस्य
दूरभाष सं.: +91-9407821592
ईमेल आई.डी.: yashwant.vishwakarma@nift.ac.in
- सुश्री अमृता रॉय चौधरी, संकाय सदस्य, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन-सदस्य
दूरभाष सं. : +91-8697003660
ईमेल आई.डी.: contact@forewordarc.com

सुश्री पीउ सरकार, सहायक प्राध्यापक, निफ्ट कोलकाता, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगी।

एवं पीठासीन अधिकारी और समिति का प्रत्येक सदस्य इस आदेश की तारीख से तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा।

शिकायत प्राप्त होने पर आई.सी.सी. विशाखा दिशानिर्देशों के साथ-साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम ('अधिनियम') के अनुसार आवश्यक जांच करेगा ताकि दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करके और शिकायत सहित संभावित गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। तत्पश्चात आई.सी.सी. प्रारंभिक जांच कार्यवाही के दौरान पेश किए गए सभी मूल दस्तावेजों के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपेगा। यदि आरोप यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आते हैं, तो आई.सी.सी. आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को उचित प्राधिकरण के पास भेज सकता है।

प्रतिलिपि:-

- डॉ. रीनित सिंह, प्राध्यापक, निफ्ट कोलकाता- पीठासीन अधिकारी
- सुश्री पिउ सरकार, सहायक प्राध्यापक, निफ्ट कोलकाता - सदस्य& सचिव
- श्री यशवंत कुमार विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक, सदस्य
- सुश्री अमृता रॉय चौधरी, संकाय सदस्य, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, सदस्य
- सतर्कता अधिकारी, निफ्ट मुख्यालय [कृपया जानकारी के लिए]
- सूचना पट्ट

राजेश कुमार झा
निदेशक

निदेशक / Director
निफ्ट, कोलकाता / NIFT, Kolkata

A Premier Institute of Design, Management & Technology
A statutory body under the NIFT Act 2006

NIFT Campus, Block- LA, Plot- 3B, Sector- III, Salt Lake City, Kolkata- 700106
t +91 033 2335 2890/ 8350/ 7546 f +91 033 2335 5734/ 8351 edirector.kolkata@nift.ac.in

www.nift.ac.in